झारखण्ड सरकार
महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

3375
11.08.17

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

अधिसूचना

सहायक निदेशक, झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा सेवा, विभागीय परीक्षा नियमावली –2017

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–1779 दिनांक–12.06.2016 द्वारा सहायक निदेशक, झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा सेवा, विभागीय परीक्षा नियमावली–2017 का गठन किया गया है। नियमावली मे क्रम संख्या गलत टंकित हो जाने के कारण उसे संशोधित रुप में निम्नवत् पढ़ा जाय :–

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त पदाधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

(1) संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार –

(i) यह नियमावली '' सहायक निदेशक, झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा सेवा, विभागीय परीक्षा नियमावली–2017'' कही जायेगी।

(ii) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

(iii) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(2) परिभाषाएँ – इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :–

(i) 'सरकार' का अभिप्राय, झारखण्ड सरकार से है।

(ii) 'विभागीय परीक्षा' का अभिप्रेत है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं0–7/VI-VI-Pa-27/2002-3371 दिनांक–18.06.2003 के नियम–13 (III) के अन्तर्गत सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पद पर नियुक्त पदाधिकारियों के विभागीय परीक्षा से है।

(iii) 'समिति' का अभिप्रेत है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की विभागीय उक्त अधिसूचना के नियम–3 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय परीक्षा समिति से है।

(3) परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :–

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना सं0–7/VI-VI-Pa-27/2002-3371 दिनांक–18.06.2003 के खण्ड–I में उल्लिखित है, के अनुरुप होंगी।

(4) कोषागार प्रशिक्षण :–

इस सेवा के सभी पदाधिकारियों को, जिला कोषागार में, संबंधित कोषागार के प्रभारी के निरीक्षण में कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 4 सप्ताह तक लगातार होनी चाहिए तथा इस दौरान प्रशिक्षु को बिहार कोषागार संहिता के नियमावली खण्ड–(I) एवं (II) तथा लेखा संहिता खण्ड–II का अध्ययन करना होगा।

सबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा कोषागार प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र निर्गत करने के पश्चात ही मान्य होगा। जिला उपायुक्त की अनुपस्थिति में प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र, अपर उपायुक्त द्वारा प्रधान सचिव/सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

11/8/17

(5) विभागीय परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रमः –

केन्द्रीय परीक्षा समिति झारखण्ड द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही सेवा सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति के योग्य होंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा :–

क्र0सं0	विषय	पूर्णाक	उत्तीर्णाक	स्मय
1	2	3	4	5
1	हिन्दी (लिखित)	200	120	3 घण्टा
2	हिन्दी (मौखिक)	100	60	राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
3	लेखा (पुस्तक रहित)	100	60	1½ घण्टा (झा0प्र0से0 के समतुल्य होगा)
4	लेखा (पुस्तक सहित)	100	60	1½ घण्टा (झा0प्र0से0 के समतुल्य होगा)
5	जनजातीय भाषा	100	60	2 घण्टा

(6) प्रमाणीकरणः–

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पद पर नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि निम्नलिखित अहर्ता पूर्ण करने पर ही अनुमान्य होगा।

(i) सहायक निदेशक ने निर्धारित दो वर्षो की परीक्ष्यमान अवधि की सेवा पूरी कर ली हो।

(ii) सहायक निदेशक विभागीय परीक्षा तथा क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा, निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत उत्तीर्ण कर लिया हो।

(iii) कोषागार प्रशिक्षण संबंधी उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया हो।

(iv) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा पदाधिकारी को योग्य करार दिया गया हो।

(v) उक्त अवधि का वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति

(vi) पदस्थापन का व्यौरा।

(7) वेतन वृद्धि का नियमन :–

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पद पर नियुक्त पदाधिकारी को पहले वेतन वृद्धि उनकी नियुक्ति के एक वर्ष के बाद अथवा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता (जनजातीय भाषा परीक्षा में निम्न श्रेणी के साथ) के पश्चात, जो भी बाद में हो अनुमान्य होगी। प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी को दो वर्षो की सेवा पूरी करने पर दूसरी वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। उन्हें तीसरी वार्षिक वेतनवृद्धि तीन वर्षो की सेवा पूरी करने पर अथवा सेवा सम्पुष्ट होने पर, जो भी बाद में हो, अनुमान्य होगी।

(8) निरसन एवं व्यावृत्ति :–

इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व के इससे संबंधित सभी नियम/ नियमावली, यदि कोई हो, तो निरसित समझी जायेगी। परन्तु ऐसे निरसन के वावजूद पूर्व के नियम/नियमावली, यदि कोई हो, के अधीन की गयी कार्रवाई के विषय में यह समझा जायेगा कि उक्त कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई है।

(9) विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–1779 दिनांक–12.06.2017 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 11/8/17

(मुखमीत सिंह भाटिया)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 01/म0स0/सा0सु0 (वि0प0नि0)–88/2016 – 3375 राँची, दिनांक– 11-08-17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह0 भाटिया 11/8/17
(मुखमीत सिंह भाटिया)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 01/म0स0/सा0सु0 (वि0प0नि0)–88/2016 –3375 राँची, दिनांक– 11-08-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 भाटिया 11/8/17
(मुखमीत सिंह भाटिया)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 01/म0स0/सा0सु0 (वि0प0नि0)–88/2016 –3375 राँची, दिनांक– 11-08-17

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय सचिव एवं सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची/सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 भाटिया 11/8/17
(मुखमीत सिंह भाटिया)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 01/म0स0/सा0सु0 (वि0प0नि0)–88/2016 –3375 राँची, दिनांक– 11-08-17

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एंव समन्वय विभाग, झारखण्ड सरकार/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची/लोकायुक्त के सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 भाटिया 11/8/17
(मुखमीत सिंह भाटिया)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 01/म0स0/सा0सु0 (वि0प0नि0)–88/2016 –3375 राँची, दिनांक– 11-08-17

प्रतिलिपि :– विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 भाटिया 11/8/17
(मुखमीत सिंह भाटिया)
प्रधान सचिव